—प्रेस नोट—

जनपद मीरजापुर।

संख्या-06/2021 *दिनांक-21.02.2021*

स्वाट/एसओजी व थाना हलिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 75 किग्रा गांजा (कीमत करीब ₹ 5.25 लाख/-) के साथ 02 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर महिन्द्रा कार सहित गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व मादक पदार्थों के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में स्वाट/एसओजी व थाना हलिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 75 किग्रा गांजा के साथ 02 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को महिन्द्रा कार सहित गिरफ्तार किया गया। दिनांक 21.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक हलिया, प्रभारी स्वाट टीम व एसओजी टीम मय हमराह क्षेत्र की देखभाल में मामूर थे कि मुखबिर सूचना मिली की रीवा हनुमना की तरफ से एक कार से नाजायज गांजा लेकर तस्कर प्रयागराज की तरफ जाने वाले है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रीवा हनुमना मार्ग पर छोटका घुमाव हनुमान मंदिर के सामने वाहनों की सघन चेकिंग की जाने लगी। चेकिंग के दौरान एक महिन्द्रा मराजो कार संख्या एमपी 17 बीए 1829 आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया। जिसपर कार चालक ने कार को मोड़कर भागने का प्रयास किया। जिसे भागने का मौका दिए बगैर पुलिस टीम द्वारा कार को रोक लिया गया। चालक ने अपना नाम सत्येन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी नेवादा थाना लालगंज मीरजापुर तथा चालक के बगल में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजभान यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी बाण सागर कॉलोनी, रीवां, मध्य प्रदेश बताया। क्षेत्राधिकारी लालगंज की उपस्थिति में पुलिस टीम द्वारा कार एवं व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो कार से 05-05 किग्रा के कुल 15 पैकेटो (कुल 75 किग्रा) प्लास्टिक के बंडल, कार की पिछली शीट व खाली जगह में मिले। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे सब रीवां से अवैध गांजा लेकर प्रयागराज में बेचने के लिए ले जा रहे थे। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना हलिया पर मु0अ0स0-20/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा महिन्द्रा कार का कोई वैध कागजात न होने के कारण कार को धारा 207 एम0वी0 एक्ट के तहत सीज किया गया।

नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1- सत्येन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी नेवादा थाना लालगंज मीरजापुर।

2- राजभान यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी बाण सागर कॉलोनी, रीवां, मध्य प्रदेश।

बरामदगी विवरण—

1-कुल 75 किग्रा अवैध गांजा (कीमत करीब ₹ 5.25 लाख/-)।

2-एक अदद महिन्द्रा कार वाहन संख्या-एमपी 17 बीए 1829.

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान—

दिनांक 21.02.2021, समय 07.25 बजे प्रातः व स्थान छोटका घुमाव हनुमान मंदिर ड्रमण्डगंज के पास से।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

थाना हलिया	स्वाट टीम	एसओजी/सर्विलांस टीम
1-नि0 राजेश सिंह (प्रभारी थाना हलिया)	1-हे0का0 वीरेन्द्र सरोज	1-का0 मनीष सिंह (एसओजी)
2-उ0नि0 योगेन्द्र पाण्डेय (चौ0प्र0 ड्रमण्डगंज)	2-का0 भूपेन्द्र सिंह	2-का0 नितल सिंह (सर्विलांस)
3-हे0का0 कालेन्द्र यादव	3-हे0का0 राजेश सिंह यादव	3-का0 आशुतोष सिंह (सर्विलांस)
4-हे0का0 अजय कुमार सिंह		
5-हे0का0 उमेश कुमार सिंह		
6-का0 पंकज पाल		

मीरजापुर पुलिस